न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 06/2023

किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 19.05.2025

1. पूरनसिंह पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गोपालसिंह पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3.

प्रार्थीगण

बनाम

1. दीपक पुत्र पूरन जाति जाट निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. धारासिंह पुत्र पूरन जाति जाट निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. विजय सिंह पुत्र अजमत जाति जाट निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. शीला पत्नि पूरनसिंह जाति जाट निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. अमरसिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी लुलहारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. दिनेश कुमार पुत्र भगवानसिंह जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. दीवानसिंह पुत्र यादराम जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. नम्रता पुत्री जगदीश जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:43 IST
Reason: SelfAttested

19/5/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

9. नीतू पुत्री भगवानसिंह जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

10. भजनलाल पुत्र परम जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

11. भीमसिंह (मृतक)वारिसान– विनोद पुत्र भीमसिंह जाति जाट नि0 लुलहारा

12. मोती पुत्र परमा जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

13. आल्हा पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14. रामवीरसिंह पुत्र कलुआ जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

15. रामवीरसिंह पुत्र कलुआ जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

16. लीलादेवी पत्नि भगवानसिंह जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

17. लोकेश सिंह पुत्र कलुआ जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

18. वतनकौर पत्नि जगदीश जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

19. संजय पुत्र गम्भीर जाति जाट निवासी लुलहारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

20. सत्यवीरसिंह पुत्र वीरी जाति जाट निवासी लुलहारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

21. सिंगारी (मृतक) वारिस– नारायण लाल पुत्र गोविन्द जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

22. सीताराम पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

23. सीताराम (मृतक) पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:43 IST
Reason: SelfAttested

19/5/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

23/1 भूरीबाई पत्नि सीताराम जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

23/2 कर्नलसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

23/3 जर्नलसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

23/4 सीमाकुमारी पुत्री कप्तानसिंह जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

23/5 मन्जू पुत्री कप्तानसिंह जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

23/6 सन्जू पुत्री कप्तानसिंह जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

24. हरदेव सिंह पुत्र वीरी जाति जाट निवासी लुलहारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

25. हरभजन पुत्र गोरखी जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

26. हाकिम पुत्र कलुआ जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

27. कपूर पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

28. नाबालिग गर्वित पुत्र मनोज कुमार संरक्षक माता हेमा देवी जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

29. चिरंजी पुत्र सुमरत्या जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

30. जयदेव पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

31. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:43 IST
Reason: SelfAttested

19/5/25

उप जिला कलेक्टर एवं

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित अधिवक्ता श्री रामकिशन पूनियां एड (प्रार्थी की ओर से)

श्री फूलसिंह एड0 एवं श्री अशोक कुमार विहारिया एडवो0 (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए.

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि आराजी खसरा नंबरान 300 रकवा 0.04 हैक्टे. व 299 रकवा 0.26 हैक्टे. व 335 रकवा 0.80 हैक्टे. वाके ग्राम बझेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है।
2. यह कि आराजी खसरा नम्बर 300 व 299 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 30 की खातेदारी काश्त कारी का रकवा है। तथा खसरा नं0 335 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्तकारी का रकवा है।
3. यह है कि प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण करीब 50 सालों से खसरा नम्बर 335 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के रकवा में होकर लगातार आने जोन के काम में ले रहे है। प्रार्थीगण उक्त रकवा में होकर अपने खेत खसरा नम्बर 299 व 300 के लिए जोत–बोन ट्रेक्टर ट्रोली आदि निकालना के काम में लेते चले आ रहे है।यद्यपि खसरा नम्बर 296 व 297 प्रार्थीगण की आराजी है।परन्तु इसके चिपटेमा खसरा नम्बर 339 गैर मुमकिन रास्ता है।जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 4 ने पक्के मकानात बनाये है। जिनमें खसरा नम्बर 339 को आने जोन का कोई रास्ता नहीं रहा है।क्योंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीण सभी करीबन 50 सालों से खसरा नम्बर 335 में से ही होकर आना जाना बना रखा है। खसरा न 332, 364, 339 गैर मुमकिन रास्ते है। जिनमें होकर डामरीकरण सडक बनी हुई है। उक्त सड़क 1 लगाायत 4 के खसरा नम्बर 335 में होकर निकल रही है।इस प्रकार खसरा नम्बर 300 व 299 के खातेदार एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 इसी खसरा नम्बराना में से निकलकर आम सडक जो कि लुलहारा से गगवाना को जाती है। इस प्रकार प्रार्थीगण खसरा नम्बर 335 में होकर सडक को पूर्व की तरह आने जाने के काम में ले रहे है। परन्तु अब अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:43 IST
Reason: SelfAttested

19/5/25
उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मन में बदयांति आ गई है। एवं जातिवाद की वजह से प्रार्थीगण के रास्ते को अवरूद्व करने पर आमादा है। जिसको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। फिर भी प्रार्थीगण उक्त रास्ते को लगातार आने जाने हेतु सरकारी नियमानुसार सरकारी डीएलसी रेट के अनुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण , अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के खसरा नम्बर 335 में होकर लगभग 15 फीट का रास्ता चौपहिया वाहन आने जाने के लिए आम रास्ता लेने हेतु नियमानुसार सरकारी डीएलसी रेट के अनुसार कीमत अदा करने को तैयार है।

4. यह है कि नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित खसरा नम्बर 332 व 364 व 339 में होकर गैर मुमकिन सडक निकाली गई है। जो कि इन खसरा नम्बरान के अलावा उक्त सडक खसरा नम्बर 336, 335, 362 के कुछ हिस्से में निकाली गई है। उक्त सडक नक्शा में तरमीम नहीं की गई है।

5. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 296 व 297 में भी खातेदारान पक्के निर्माण कर रिहायशी मकानात बनाये हुए है। जिनका निकास खसरा नम्बर 299 व 300 में होकर आवागमन करीबन 50 सालों से बना हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 30 को इसी रास्ते में होकर अर्थात खसरा नम्बर 335 में होकर आने जाने का गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जाना न्यायहित में है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री फूल सिंह एडवोकेट उपस्थित हुए एवं शेष प्रतिवादीगण की ओर से श्री जीतेन्द्र गौड एडवो0 उपस्थित एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री फूल सिंह एडवोकेट द्वारा उपस्थित जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जबाव प्रार्थना का संक्षिप्त में निम्नानुसार है– .

1. यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 335 कोई आने जाने का रास्ता कभी नहीं रहा है। आम रास्ते का खसरा नम्बर 339 है।जो मौके पर मौजूद है। व आम रास्ते के काम में आ रहा है। आम रास्ते खसरा नं0 339 के चिपटेमा पश्चिम में प्रार्थी गण के खसरा नं0 296 व 297 स्थित है। खसरा नं0 296 व 297 के चिपटेमा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 299 व 300 स्थित है। व इसी प्रकार खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:54:43 IST
Reason: SelfAttested

19/5/25
उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 296, 299, 300 के पूर्व में तरतीवी अप्रार्थी संख्या 07 दीवान सिंह एवं तरतीवी अप्रार्थी संख्या 23 कप्तान सिंह की पत्नियों के खातेदारी के खसरा नं. 295 व 301 स्थित है। खसरा नं. 295 आम रास्ते के खसरा नं0 339 से लगा हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 4 के खसरा नं0 335 से कोई रास्ता लेने के अधिकारी नहीं है। तथ्यों को छुपाते हुए वेग आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो काबिल खारिजी के है। आम रास्ता के खसरा नं0 339 में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 4 का कोई मकानात नहीं बने हुए है। न ही उनका कोई अतिक्रमण हैं बल्कि प्रार्थीगण ने ही खसरा नम्बर 339 आम रास्ते के भाग पर अतिक्रमण कर रखा है।

2. यह है कि मद संख 04 खसरा नं0 332, 364, 339 मे होकर सडक निकलना स्वीकार हैं शेष कथन अस्वीकार है। खसरा नं0 335 के किसी भी हिस्से में होकर सडक नहीं निकली हुई है। आम रास्ते के खसरा नं0 नम्बरान में होकर सडक निकली निकली है। जो नक्शे मे दर्शित है।

3. यह है कि मद संख्या 05 प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार वर्णित की गई है। स्वीकार नहीं । आराजी खसरा नं0 299 व 300 के चिपटैमा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 30 के खसरा नं. 296 व 297 आम रास्ते के खसरा नं0 339 से लगे हुए हैं। स्वयं की खातेदारी के खसरा नं0. होते हुए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 की खातेदारी के ख0नं0 से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

4. यह है कि मद संख्या 05 प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार नहीं है। किसी प्रकार की कोई धमकी दिनांक 02.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 द्वारा प्रार्थीगण को नहीं दी गई है। जिन खसरा नम्बरान के लिए प्रार्थीगण रास्ता कायम कराना चाह रहे है। उनके लिए रास्ता कायम नहीं करा सकता। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिजी के है।

अतिरिक्त कथन

5. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 के मुताबिक प्रार्थीगण के खसरा नं0 299 व 300 प्रार्थीगण के ही ख[illegible] हैं। व खसरा नं0 296 व 297 गैर मुमकिन रास्ते के खसरा [illegible] 33[illegible] लगे हुए हैं इससे साबित है कि मौके पर आवागमन के लिए रास्ता मे[illegible] है और जहां वैकल्पिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:43 IST
Reason: SelfAttested

19/5/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता मौजूद हो तो कोई भी खातेदार अपनी सुविधा अनुसार धारा 251 क के तहत रास्ता नहीं मांग सकता।

6. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 की खातेदारी के खसरा नं0 335 मे कोई रास्ता नहीं हैं अप्रार्थीगण भी गैर मुमकिन रास्ते के ख0 नं. 339 से ही अपनी खातेदारी की आराजी पर आवागमन करते है। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण अप्रार्थीगण द्वारा आम रास्ते पर नहीं किया हुआ हैं। अगर आम रास्ते पर किसी के द्वारा अतिक्रमण कर आवागमन अवरूद्व किया हुआ है तो प्रार्थीगण को तहसीलदार के समक्ष अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करनी चाहिए। गैर मुमकिन रास्ते के खसरा नं. 339 के पूर्व दिशा में सीसी खरंजा डला हुआ है जो आम रास्ते के काम आ रहा हैं इस समस्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

7. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नं0 पर पहुंचने के लिए आम रास्ता के खसरा नं0 339 से लगे हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 30 के ख0नं0 295, 296, 297 स्थित है। जिसमें होकर प्रार्थीगण अपने ख0 नं. 299 व 300 के लिए आवागमन कर सकते है। कोई भी खातेदार 251 क के तहत रास्ते की मांग उसी दिशा में कर सकता है। जब खातेदार की आराजी तक पहुंच के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हो और उसके लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। व स्वयं की खातेदारी की अन्य आराजी जिस नंबर के लिए रास्ते की मांग की जा रही है। उसके आस–पास मौजूद नहीं है परन्तु यहां प्रार्थीगण की आराजी के अन्य ख0 नं. प्रार्थीगण की आराजी के ख0 नं0 299 व 300 से लगे हुए है व उनकी पहुंच गै0 मु0 रास्ते के खसरा नं0 339 तक है। उक्त समस्त तथ्यों के होते हुए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 251 ए के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि मौका पर्चा ग्राम बझेरा 26.07.2023, जमाबंदी 2076–2079, वाके ग्राम बझेरा तहसील नदबई पेश किए गए। एवं नक्शा ट्रेस पेश किए गए। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार नदबई से रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार नदबई द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.05.2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार खातेदार को खेत पर पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह रास्ता आत्यंतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:43 IST
Reason: SelfAttested

14/5/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक नहीं है। और यह पडत ख0नं0 299, 300 पर पहुंचने के लिए स्वंय की खातेदारी ख0नं0 296, 297 जो कि ख0 नं0 339/0.01 गै0मु0 रास्ता से लगे हुए है, से वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम व निकटतक रूट को धारित नहीं करता है।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना। प्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि प्रार्थीगण की आराजी 301, 300, 299 है। लगभग 50 वर्ष पूर्व से ही 335 अप्रार्थीगण का है। अतः 10–12 फीट का रास्ता खसरा नम्बर 335 में से चालू है। खसरा नम्बर 335 के पश्चिम दिशा में सडक लिखी हुई है। खसरा नं0 295, 296, 297, 338 में पक्के मकान बने हुए है। प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा देने एवं जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है। अप्रार्थी वकील की ओर से कथन रहे है कि तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिकयह रास्ता आत्यंतिक आवश्यक नहीं है। और यह पडत ख0नं0 299, 300 पर पहुंचने के लिए स्वंय की खातेदारी ख0नं0 296, 297 जो कि ख0 नं0 339/0.01 गै0मु0 रास्ता से लगे हुए है, से वैकल्पिक रास्ता हो सकता है धारा 251 ए एलआरएक्ट में प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है उसके अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता नहीं दिया जा सकता है। खसरा नं0 335 के किसी भी हिस्से में होकर सडक नहीं निकली हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना काबिल खारिजी के है।

हमने प्रार्थी व अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि मुताबिक नक्शा ट्रेस आराजी खसरा नम्बर 335 में होकर पहले से कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रास्ता आत्यांतिक आवश्यक नहीं है। जो कि लघुत्तम व निकटतम रूट को धारित नहीं करता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी तक पहुंचने के लिए स्वयं की खातेदारी खसरा नं0 296, 296, जो कि खसरा नं0 339/0.01 गैर मुमकिन रास्ता से लगे हुए है, से वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के उद्देश्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अनुरूप नहीं है अतः उक्त विवादित आराजी में रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

–: : आदेश : :–

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सिद्व न होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.25 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

19/5/25

(गंगाधर मीणा RAS)
उप जिला कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी,
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई(भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:54:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner